न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-88/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) श्री मो0 मजवर आलम, पिता-शेख इमाम उद्दीन,
सा0-सिकटी, वार्ड नं0-05, थाना-सिकटी, जिला-अररिया

(2) श्री शौकत आलम, पिता-इमामउद्दीन
सा0-सिकटी, थाना-सिकटी
जिला-अररिया..विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
19.03.2020	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 3987/हि0शा0, दिनांक 28.12.2019) के आलोक में सिकटी थाना कांड सं0-208/18, दिनांक-24.11.2018, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल (हिरो सुपर स्पलेंडर) पंजीयन सं0-BR37S-0421, चेसीस संख्या-MBLJAR034J9C14182, ईंजन संख्या-JA05EGJ9C14042 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षीगण को कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। (2) विपक्षी संख्या-02 (वाहन मालिक) शौकत आलम, पिता-इमाम उद्दीन, सा0-सिकटी, थाना-सिकटी, जिला-अररिया की ओर से दिनांक-01.02.2020 को सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-9826/2019 (शौकत आलम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक-26.07.2019 की सच्ची प्रमाणित प्रति के साथ जब्त वाहन को विमुक्त करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया है। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल का मुख्य कथन है कि सहायक अवर निरीक्षक, सिकटी एवं अन्य दिवा गश्ती एवं अन्य जांच करते हुए दिनांक 24.11.2018 को समय करीब 14.40 बजे दहगामा मील चौक के पास पहुँचा। विपक्षी सं0-01 एक मोटर साईकिल पर दो बोरा में अवैध शराब लेकर आ रहा था। तलाशी के कम में मोटर साईकिल पर लदा दो बंधा हुआ बोरे से कुल-180 बोतल (प्रत्येक बोतल 300 एम0एल0) कुल-54 लीटर रेशम लीची नेपाली शराब बरामद किया गया। बरामद शराब एवं मोटर साईकिल (हिरो सुपर स्पलेंडर) पंजीयन सं0-BR37S-0421, चेसीस संख्या-MBLJAR034-J9C141 82, ईजन संख्या-JA05EGJ9C14042 को दो स्वतंत्र गवाह-1. राजू कुमार मांझी, पे0-धनेश्वर मांझी, ग्राम-पड़रिया, थाना-सिकटी, जिला-अररिया एवं 2. मुन्ना पासवान, पे0-जयप्रकाश पासवान, ग्राम-सिकटी, थाना-सिकटी, जिला-अररिया के समक्ष विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। जब्त मोटर साईकिल (हिरो सुपर स्पलेंडर) पंजीयन सं0-BR37S-0421, चेसीस सख्या-MBLJAR034J9C14182, ईजन संख्या-JA05EGJ9C14042 राजसात होने योग्य है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय। (4) विपक्षी संख्या-02 (वाहन मालिक) शौकत आलम, पिता-इमामउद्दीन, सा0-सिकटी, थाना-सिकटी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि जब्त वाहन का विपक्षी संख्या-02 वास्तविक मालिक है। बरामद सामग्री से विपक्षी संख्या-02 को कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। इस काण्ड में वाहन मालिक की कोई संलिप्तता नहीं है। वाहन मालिक की ओर से वाहन की विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-9826/2019 (शौकत आलम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वाहन मालिक पर्याप्त प्रतिभूति	

अधिहरण वाद संख्या-88/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)

19.03.2020

बंध-पत्र दाखिल करने को तैयार है। जब्त वाहन खुली आसमान के नीचे थाना परिसर में खड़ी है। जब्त वाहन खराब एवं बर्बाद हो रही है। उनकी प्रार्थना है कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-9826/2019 (शौकत आलम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2019 के आलोक में जब्त वाहन को सशर्त्त औपबंधिक विमुक्त करने का आदेश दिया जाय।

(5) सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-9826/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2019 के मुख्य अंश का अवतरण निम्नलिखित है-

" The release shall be allowed within a period of 14 days from the date of production of ownership/registration papers supporting the claim of the petitioner together with one surety alongwith the Bank Guarantee or title deed of immovable property situated in the district, to the extent of the value of the vehicle as indicated in the insurance document and the undertaking, as stated above. This release would, however, be subject to initiation and finalization of the confiscation proceeding. The title deed papers shall remain in safe custody of the designated court below subject to final decision in the confiscation proceedings. With the observations above, this writ petition is allowed. "

(6) उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों एवं तर्को पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-3987/हि0शा0, दिनांक 28.12.2019) एवं संलग्न कागजातों, विपक्षी संख्या-02 की ओर से दाखिल वाहन विमुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 01.02.2020, सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-9826/2019 (शौकत आलम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक-26.07.2019 की सच्ची प्रमाणित प्रति के अवलोकन से अधोहस्ताक्षरी को समाधान हो गया है कि सिकटी थाना कांड सं0-208/18, दिनांक-24.11.2018, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में **जब्त मोटर साईकिल (हिरो सुपर स्पलेंडर) पंजीयन सं0-BR37S-0421, चेसीस संख्या-MBLJAR034J9C14182, ईजन संख्या-JA05EGJ9C14042 का उपयोग रेशम लीची नेपाली देशी शराब कुल-180 बोतल कुल मात्रा-54 लीटर को ढ़ोने में किया गया है।** जब्त मोटर साईकिल को सशर्त्त विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। विपक्षी संख्या-02 की ओर से दाखिल जब्त वाहन विमुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 01.02.2020 अस्वीकृत होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार विपक्षी संख्या-02 के आवेदन दिनांक 01.02.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है तथा सिकटी थाना कांड सं0-208/18, दिनांक-24.11.2018, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में **जब्त मोटर साईकिल (हिरो सुपर स्पलेंडर) पंजीयन सं0-BR37S-0421, चेसीस संख्या-MBLJAR034J9C14182, ईजन संख्या-JA05EGJ9C14042 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात किया जाता है।** अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन

अधिहरण वाद संख्या-88/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
19.03.2020	हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 19/03 समाहर्त्ता, अररिया 19/03 समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1183/विधि, अररिया, दिनांक 31.3.2020 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। 19/03 समाहर्त्ता, अररिया न्यायालय जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता अररिया (बिहार)	